न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर जिला बाडमेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 606/2024

प्रार्थी
तहसीलदार बाडमेर

बनाम

1 सचिव नगर विकास न्यास बाडमेर 2 कमलेश चौधरी पत्नी महेश कुमार, महेश कुमार पुत्र जवानसिंह कौम जाट निवासी बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 3 सरपंच/ग्राम पंचायत गेहूं।

रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 131 एवं 132,136

आदेश

दिनांक – 13/10/25

राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 की पालना में राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 04.04.2025 को जारी परिपत्र के अनुसार रास्ता खालों अभियान के तहत के तहत सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में मौके पर स्थाई रूप में चालू (कदीमी) परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी रूप में दर्ज नही है को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त पत्रांक राजस्व/2024/283 दिनांक 15.02.2024 द्वारा मौजा सोमाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील व जिला बाडमेर में कचरा निस्तारण केन्द्र से होते हुए गजाराम भील की ढाणी तक निम्नानुसार भूमि में स्थाई रास्ते के रूप में खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है। ग्राम सामाणियों की ढाणी पटवार हल्का गेहूं तहसील व जिला बाडमेर में कचारा निस्तारण केन्द्र सेहोते हुए भील की ढाणी तक स्थाई रास्ता जा रहा है, जिसकी लम्बाई लगभग 1650 मीटर है, जिसका रकबा 1.3880 हैक्टेयर है, जिस पर रास्ता बना हुआ है। यह रास्ता बारहमासी है, जो संलग्न नक्शे में बरंग पीले रंग से दर्शाया गया है, जो वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही है, की किस्म परिवर्तित कर रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने पत्रांक 2352 दिनांक 10.09.2025 द्वारा आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए अवगत करवाया कि सोमाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 595/538 रकबा 360.8171 हैक्टेयर में से रास्ता हेतु प्रस्तावित रकबा 1.3200 हैक्टेयर भूमि हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में उक्त भूमि बाडमेर मास्टर प्लान 2031 के अनुसार परिधिय नियंत्रण क्षेत्र में अवस्थित है तथा मौके पर सड़क उपलब्ध है जिसकी चौडाई लगभग 40 फीट है। उक्त प्रस्तावित भूमि को न्यास के नाम दर्ज रखते हुए किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 01 को कोई आपति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2026.01.02 11:48:48 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी